Khasra(?)

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/ 9400-911 जयपुर,दिनांकः 16.7.15
जिला कलेक्टर,(सहायता)
पाली (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावगग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांकः सहायता/2015/2328 दिनांक 1.7.2015 के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1(3) आ.प्र.सआ/ओलावृष्टि/2015/3769–826 दिनांक 30.3.2015 से आपके जिले को रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 01.7.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013–NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की जाती हैः–

क्र.सं.	नाम तहसील	पंजीकृत गौशाला का नाम	बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1.	जैतारण	श्री राम गौशाला, बांझाकुडी	275	30	305
2.		श्री आई जी गौशाला, आगेबा	236	46	282
3.		श्री मरूधर केसरी गौशाला, चावण्डिया	227	43	270
4.		श्री नारायण गौशाला सेवा समिति बस्सी	541	144	685
5.		श्री नारायण गौशाला सेवा समिति बस्सी	541	144	685
6.		श्री मरूधर केसरी गौशाला आ.कालू	74	22	96
7.		कृष्णा गौशाला समिति अमरपुरा	330	65	395
8.		श्याम गौशाला समिति प्रतापुरा	97	40	137
9.		श्री कृष्ण गौशाला समिति, राबड़ियावास	360	55	415
10.		श्री देवरी माता गौशाला सेवा समिति देवरिया	328	95	423
11.		श्री राधा गौशाला संस्थान सेवरिया	70	15	85
12.		श्री खेतेश्वर कृष्ण गौशाला समिति तालकिया	250	88	336
13.		श्री भगवान महावीर जैन गौशाला सेवा समिति, जैतारण	270	125	395
14.		श्री सनातन धर्म गौशाला सेवा समिति, जैतारण	185	48	233
15.		श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, जैतारण	294	74	368
16.		श्री बिरोल गोवंश संरक्षण समिति, बिरोल	130	46	175
17.		श्री नाथ जी मरूधर केसरी गौशाला, रास	218	75	293

18.		श्री कृष्ण गौशाला समिति, निमाज	261	131	392
19.		श्री कृष्ण कुम्भ गौशाला समिति, निमाज	305	110	415
20.		श्री अलख गुसाई गौशाला समिति, भूम्बलिया	169	30	199
21.		चापा जी महाराज गोशाला लाम्बिया	480	141	621
22.		श्री मिश्री माधव गौशाला सेवा समिति, डिंगरणा	270	50	320
23.		श्री कृष्ण सुकून कृष्ण गौशाला, खराडी	218	54	272
24.		श्री सिद्धी विनायक गौशाला समिति, सिणला	150	20	170
25.		श्री गंभीर गौशाला समिति, निम्बोज	295	45	340
26.		श्री काणेचा गौशाला सेवा समिति, काणेचा	184	42	226
27.		श्री भगवान आरती गौशाला सेवा समिति, पाटवा	320	80	400
28.		श्री सर्व धर्म गौशाला सेवा समिति, बैडकलां	385	69	454
29.		श्री मरूधर केसरी कृष्ण गौशाला सेवा समिति, लौटोती	272	30	302
30.		हनुमान गौशाला समिति, रामावास कलां	270	68	338
31.		श्री आई जी गोशाला समिति, गरनिया	262	43	305
32.		श्री मरुधर केसरी गौशाला सेवा समिति, पृथ्वीपुरा	54	185	239
33.		श्री राम गौशाला सेवा समिति, खाती खेडा	674	129	803
34.		श्री निर्मला आदर्श गौशााला, खिनावड़ी	76	39	115
35.		श्री गजानन्द गौशाला सेवा समिति, फूलमाल	140	30	170
36.		महादेव गौशााला आसरलाई	430	128	558
37.		श्री महादेव गौशाला, खारचिया	45	7	52
38.		श्री श्रीराम गौशाला बलुन्दा	455	191	646
39.		श्री रूप रजत श्री कृष्ण गौशाला समिति, फालका	415	90	505
40.		श्री गोपाल कृष्ण गौशाला ट्रस्ट, बलाडा	486	165	651
41.		श्री वीर तेजा गौशाला सेवा समिति, केकिन्दडा	170	54	224
42.		श्री वीर तेजा जी महाराज गौशाला समिति, धनेरिया	194	36	230
43.		श्री चामुण्डा माता गौशाला समिति, मोहराई	348	82	430
44.		श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति, विकरलाई	239	105	344
45.		नवदुर्गा गौशाला सेवा समिति, ठाकरवास	142	14	156
		योग :–	**11700**	**3202**	**14902**
46.	पाली	श्री पिंजरापोल गौशाला, पाली	2631	351	2982
47.		श्री लखमपुरीजी महाराज गौशाला, पुस्तेड़ा भाखर, मणिहारी, पाली	76	24	100
48.		श्री गौरक्षा समिति, पाली	847	178	1025
		योग :–	**3554**	**553**	**4107**
49.	सुमेरपुर	श्री राम गौशाला सेवा समिति, सुमेरपुर	1022	183	1205

50.		श्री कबीर गौशाला सेवा समिति, बांकली	168	40	208
51.		श्री बरमनेरा गौरक्षक चेरिटेबल गौशाला, बामनेरा	235	45	280
52.		श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गौशाला, नेतरा	537	200	757
53.		श्री नन्दीश्वर श्री कृष्ण गौशाला, नोवी	449	79	528
54.		श्री महावीर गौशाला सेवा समिति, बांकली	190	63	253
55.		श्री आशापुरा गौसेवा समिति संवर्धन, नेतना	265	160	425
56.		श्री निम्बोरा नाथ महादेव गौशाला सेवा समिति, साण्डेराव	150	82	232
57.		श्री गुरू मोती कमल कन्हैया गौशाला समिति, साण्डेराव	63	61	124
58.		श्री गोकुल गौसेवा संस्थान, पावा	195	37	232
59.		श्री जैन श्वेताम्बर पिंजरा पोल गौशाला, तख्तगढ़	435	165	600
60.		श्री ठीकरनाथ बाबा गौसेवा समिति, बाबागांव	110	18	128
		योगः–	**3819**	**1133**	**4952**
		कुल योगः–	**19073**	**4888**	**23961**

इसी अनुकम में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें:–

1. **अनुदान दरः** –
गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. **पशु आहार**–
(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ कमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथ 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि कमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।
(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. **निरीक्षण मापदण्ड** :–
अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क. स.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी	5 प्रतिशत	जिला

	अधिकारी / अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)		
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन / चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील / पं. समिति

4. **<u>अनुदान की देयता</u>:–**

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान गौशालाओं की तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक से देय होगा।

(ii) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(iii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

  क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
  ख. पशुओं का रजिस्टर
  ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
  घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iv) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशलाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **<u>भुगतान</u>:–**

गौशला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **<u>पशु संख्या में बढोतरी</u> :–**

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढे हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

7. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय / जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण / विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था / संबंधित कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध कानूनी / विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

8. किसी भी गौशाला संचालक संस्था जिसके माध्यम से गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं को स्वीकृति दी जाये।
9. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
10. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 1(1)(1) आ.प. एवं सहा./सामान्य/ 14 /8892–910 दिनांक 03.7.2015 की पालना में, गौशाला अनुदान 90 दिवस तक या **15 जुलाई, 2015 तक** जो भी पहले हो तक के लिए अनुमति दी जावे, किसी भी गौशाला को 90 दिवस से अधिक अवधि का भुगतान देय नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,
15/7/15
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

~~शासन संयुक्त सचिव~~